

राजस्थान सरकार
अभियोजन निदेशालय राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:—स. 3(3)(3) स्था/मंत्रा:/अभि./2018/ 774-84

दिनांक:— 28/01/19

—:: आदेश ::—

अभियोजन विभाग में अत्यधिक संख्या में कनिष्ठ सहायक के पद रिक्त होने के कारण सेवानिवृत्त मंत्रालयिक सेवा के कार्मिको को कार्मिक विभाग के परिपत्र संख्या क्रमांक एफ. 17(10) डी.ओ.पी. ए.॥/94 दिनांक 08.02.2018 में वर्णित शर्तो के अनुसार नियमित नियुक्ति दिनांक से राज्य कर्मचारियों को ए.सी.पी. नियमों के तहत तीन ए.सी.पी. देय होती है इसलिये उच्च पद से सेवानिवृत्त कार्मिक की, यदि निम्न पद पर संविदा पर पुनर्नियुक्ति की जाती है तो निम्न पर पर नियुक्त ऐसे कार्मिक को उस पद से सम्बन्धित सेवा के निम्नतम पद के लिये निर्धारित ग्रेड-पे से ए.सी.पी. योजना के तहत स्वीकृत योग्य तीसरी उच्च ग्रेड-पे के अनुसार (परिशिष्ट-क) समेकित पारिश्रमिक के आधार पर निम्नानुसार सेवानिवृत्त मंत्रालयिक कर्मचारियों को राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम 164ए के प्रावधान के अन्तर्गत उनके नाम के सामने कालम संख्या 5 में अंकित कार्यालय में कनिष्ठ सहायक के पद पर तुरन्त प्रभाव से संविदा पर अस्थाई रूप से नियुक्ति दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।


क्र.सं.	आवेदक का नाम एवं सेवानिवृत्ति से पूर्व का पद एवं विभाग	जन्म तिथि	कार्यालय जहाँ नियुक्ति की जानी है।	वि.विवरण	अभिवृद्धि कब तक
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	श्री नन्द किशोर शर्मा, कनिष्ठ सहायक, अभियोजन विभाग	05.07.56	एडीपी जयपुर शहर	तृतीय बार	कार्यग्रहण की दिनांक से एक वर्ष तक
2.	श्री गोस्धन राज आचार्य, सहा. प्रशा. अधि., अभियोजन विभाग	01.10.57	एडीपी जोधपुर	तृतीय बार	कार्यग्रहण की दिनांक से एक वर्ष तक
3.	श्री तिलकराज खन्ना, सहायक निदेशक, राज्य बीमा विभाग	09.12.55	एडीपी जयपुर द्वितीय	तृतीय बार	कार्यग्रहण की दिनांक से एक वर्ष तक
4.	श्रीमती विजयलक्ष्मी सोनी, वरिष्ठ सहायक, जिला कोष कार्यालय उदयपुर	15.10.55	एडीपी उदयपुर	तृतीय बार	कार्यग्रहण की दिनांक से एक वर्ष तक
5.	श्री भगवती प्रसाद शर्मा, सहा. प्रशा. अधि., अभियोजन विभाग	09.07.56	एडीपी बून्दी	तृतीय बार	कार्यग्रहण की दिनांक से एक वर्ष तक
6.	श्री लक्ष्मीनारायण सैनी, वरिष्ठ सहायक, न्याय विभाग	17.07.56	एडीपी बून्दी	तृतीय बार	कार्यग्रहण की दिनांक से एक वर्ष तक
7.	श्री मदन लाल सैन, वरिष्ठ सहायक, अभियोजन विभाग	20.07.56	एडीपी अलवर	तृतीय बार	कार्यग्रहण की दिनांक से एक वर्ष तक
8.	श्री रोशन लाल, अति.प्रशासनिक अधिकारी, अभियोजन विभाग	10.10.55	एडीपी अलवर	तृतीय बार	कार्यग्रहण की दिनांक से एक वर्ष तक
9.	श्री विनोद लालवानी, कार्यालय अधीक्षक, अभियोजन विभाग	02-02-56	एडीपी जोधपुर	तृतीय बार	कार्यग्रहण की दिनांक से एक वर्ष तक

- कार्मिक विभाग के आदेश क्रमांक एफ. 17(10) डी.ओ.पी. ए.॥/94 दिनांक 08.02.2018 के क्रम में नियुक्ति आदेश संबन्धित सहायक निदेशक अभियोजन अपने स्तर पर जारी करेगा।
- पुनः नियुक्त अधिकारी सहायक निदेशक अभियोजन कार्यालय में राशि रूपये 500/- के स्टाम्प पर अनुबन्ध पूर्ण कर हस्ताक्षरित करेंगे।
- चिकित्साधिकारी से स्वास्थ्य प्रमाण पत्र एवं पूर्ण निष्ठा व ईमानदारी से कार्य करने का शपथ पत्र सम्बन्धित सहायक निदेशक अभियोजन को प्रस्तुत करेंगे।

- 4 सम्बन्धित सहायक निदेशक अभियोजन अपने स्तर पर आवश्यकतानुसार अन्य न्यायालयों में भी कार्यव्यवस्था के लिए निर्देशित कर सकता है।
- 5 समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्ति की किसी भी शर्त के भंग करने पर या 15 दिवस का पूर्व नोटिस देकर, सक्षम प्राधिकारी द्वारा समाप्त किये जाने के दायित्व के अध्यक्षीन होगी।
- 6 पुनः नियुक्ति सेवानिवृत्त मंत्रालयिक कर्मचारियों की सेवा कालम सख्या 6 के अनुसार कार्यग्रहण **की दिनांक से एक वर्ष तक**, अथवा नियमित कार्मिकों के पदस्थापन में से जो भी पहले हो की अवधि तक दी जाती है संविदा पुनर्नियुक्ति सेवारे किसी भी दशा में 65 वर्ष की आयु से अधिक नहीं होगी।
- 7 इनके पारिश्रमिक का भुगतान बजट मद 2014-00-114-02-01-(01) संवेतन व्यय (स्टेट फण्ड) से प्रभार्य होगा।


यह आदेश कार्मिक (क-2) विभाग से प्राप्त सहमति आई.डी. सं. 311/कार्मिक/क-2/19 दिनांक 15.04.2019, वित्त (व्यय-4) विभाग से प्राप्त सहमति आई.डी. सं. 181900403/दिनांक 25.04.19 तथा गृह (ग्रुप-10) विभाग से प्राप्त सहमति आई.डी. सं. RAJ-E 0002/H-10/19 दिनांक 25.04.19 के आधार पर जारी किया जा रहा है।

सम्बन्धित सहायक निदेशक अभियोजन को निर्देश प्रदान किये जाते हैं कि सेवानिवृत्त कार्मिक को वर्णित शर्तों के अनुरूप कार्यग्रहण करवायें तथा आपके कार्यालय से सम्बन्धित संविदा कर्मचारी को नियुक्ति प्रदान करने के पश्चात उपस्थिति की सूचना भिजवाया जाना सुनिश्चित करे।


(रमेश कुमार शर्मा)
निदेशक अभियोजन
राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. अनुभागाधिकारी गृह(ग्रुप-10) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजि सचिव, निदेशक अभियोजन राजस्थान जयपुर।
3. सम्बन्धित सहायक निदेशक अभियोजन,
4. रक्षित पत्रावली।


निदेशक अभियोजन
राजस्थान जयपुर